



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1815]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 21, 2018/वैशाख 31, 1940

No. 1815]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 21, 2018/VAISAKHA 31, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2018

का.आ. 2008(अ).—केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उप-धारा (3) और उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाय भाण्डागार (अनुज्ञापन) आदेश, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चाय भाण्डागार (अनुज्ञापन) संशोधन आदेश, 2018 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. चाय भाण्डागार (अनुज्ञापन) आदेश, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) में, खण्ड-7 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :

“7. अनुज्ञप्ति के लिए फीस – किसी अनुज्ञप्ति या उसके नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ 14,000/- रुपये (केवल चौदह हजार रुपये) की फीस संलग्न होगी।”।

3. उक्त आदेश में, खण्ड-13 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“13. लेखाओं का रखरखाव – (क) अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी भी अनुज्ञप्तिधारी को,-

- (i) भाण्डागार द्वारा किए गए कारबार के परिमाण के ऐसे अभिलेख बनाए रखने के लिए;
- (ii) हर मास की 7 तारीख को या उससे पहले अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्ररूप 'ख क' में विवरणियां या विवरण प्रस्तुत करने के लिए;
- (iii) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त यथा प्राधिकृत चाय बोर्ड के अधिकारी को निरीक्षण के लिए अपने कारबार के संबंध में उसके यथाविनिर्दिष्ट लेखा बहियां एवं अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए निदेश दे सकेगा।

(ख) उप-खण्ड (क) में उल्लिखित प्रकृति का कोई भी निदेश या तो सामान्यतः समस्त अनुज्ञापियों को या अनुज्ञप्तिधारी के किसी वर्ग या प्रवर्ग को, जैसी भी परिस्थितियां हों, जारी किया जा सकेगा।”।

4. उक्त आदेश में, खण्ड-15 के लिए, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“15. प्रविष्टि, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति.- (क) अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त लिखित रूप में उनके द्वारा विशेषतया प्राधिकृत चाय बोर्ड का कोई अन्य अधिकारी, इस आदेश के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के प्रयोजनों के लिए किसी भी भाण्डागार में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है तथा किसी ऐसी चाय या चाय उत्पाद को अभिगृहीत कर सकेगा, जो इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में संग्रहीत, मिश्रित या पैक की गई प्रतीत होती हो।

(ख) इस खण्ड के अधीन कार्रवाई करने वाला कोई अधिकारी, ऐसी कार्रवाई करने के चौबीस घंटों के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ग) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के (1974 का 2) के उपबंध, यथाशक्य इस आदेश के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे।

(घ) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी या चाय बोर्ड का कोई अधिकारी उप-खण्ड (क) के अधीन किसी चाय या चाय उत्पाद को अभिगृहीत करता है और उसे भाण्डागार स्वामी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का विनिश्चय करता है, तो यथास्थिति, अनुज्ञापन प्राधिकारी या चाय बोर्ड का कोई अन्य अधिकारी, स्टॉक को सील करने के पश्चात्, प्ररूप 'ग' में उस आशय का एक आदेश तैयार करेगा और उसे स्वामी को तामील करवाएगा और स्वामी उस आदेश का पालन करेगा।”।

5. उक्त आदेश में, प्ररूप 'ख' के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप 'ख क'

(खण्ड -13 के उप-खण्ड (ख) की मद(ii) देखें)

रजिस्ट्रीकृत भाण्डागार के स्वामी द्वारासे..... तक की अवधि के लिए प्रस्तुत की जानी वाली मासिक विवरणी

चाय भाण्डागार अनुज्ञापन आदेश के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या :

उपयोगकर्ता का प्रोफाइल :**भाण्डागार का नाम :**

भाण्डागार के स्वामी के सम्पर्क के ब्यौरे
(ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर, लैंडलाइन नम्बर):

भाण्डागार का क्षेत्रफल :

कुल क्षेत्रफल :

भंडारण का क्षेत्र :

रिपोर्ट मास में आवक और प्रेषणों के ब्यौरे :

क्रम संख्या	प्रवर्ग	आरम्भिक स्टॉक	मास के दौरान आवक	मास के दौरान प्रेषण	समापन स्टॉक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

*यदि किसी स्तम्भ के संबंध में सूचना 'शून्य' है, तो उसके सामने शून्य (0) प्रविष्ट करें।

घोषणा

मैं/हम, घोषणा करता हूं/ करते हैं कि उपरोक्त वर्णित तथ्य भाण्डागार में अनुरक्षित उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्य और सही हैं।

तारीख :

स्थान:

हस्ताक्षर

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)।

6. उक्त आदेश के, प्रपत्र 'ग' में, 'खण्ड 14 (iv) देखें', शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, निम्नलिखित अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“खण्ड 15 का उपखण्ड (घ) देखें” ।

[फा. सं. टी-12016/1/2017-बागान (क)]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में तारीख 20 जून, 1989 को अधिसूचना संख्या का.आ. 472 (अ) के अधीन प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित संशोधन किया गया :-

1. का.आ. 697 (अ) तारीख 23 जुलाई, 2001; और

2. का.आ. 3318(अ) तारीख 25 अक्टूबर, 2016 ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th May, 2018

S.O. 2008(E).—In exercise of the power conferred by sub-sections (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Tea Warehouses (Licensing) Order, 1989, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Tea Warehouses (Licensing) Amendment Order, 2018.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Tea Warehouses (Licensing) Order, 1989, (hereinafter referred as the said order), for clause 7, the following clause shall be substituted, namely:-

“7. Fee for licence.— Every application for a licence or renewal thereof shall be accompanied by a fee of Rs.14,000/- (Rupees fourteen thousand only) .”.

3. In the said order, for clause 13, the following clause shall be substituted, namely:-

“13. Maintenance of accounts. – (a) The Licensing Authority may issue directions to any licensee to,—

(i) maintain such records of the volume of business carried on by the warehouse;

(ii) submit returns or statements to the Licensing Authority in Form ‘BA’ on or before the 7th of every month;

(iii) produce, for inspection to the officer of the Tea Board as may be authorised in this behalf by the Licensing Authority, books of account and records relating to his business as may be specified therein.

(b) Any direction of the nature referred to in sub-clause (a) may be issued either generally to all licensees or to any class or category of licensee as the circumstances may require.”.

4. In the said order, for clause 15, the following clause shall be substituted, namely:-

“15. Power of entry, search and seizure. – (a) The Licensing Authority or any officer of the Tea Board specially authorised by it in writing in this behalf may enter and search any warehouse for the purpose of ensuring compliance with the provisions of the Order and may seize any tea or product of tea which appears to be stored, blended or packaged in contravention of the provisions of this Order.

(b) Any officer taking action under this clause shall submit a report to the Licensing Authority within twenty four hours of taking such action.

(c) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), relating to searches and seizures, shall, so far as may be, apply to every search or seizures made under this Order.

(d) Where the Licensing Authority or any officer of the Tea Board seizes any tea or product of tea under sub-clause (a) and decides to keep the same in safe custody of the owner of the warehouse, the Licensing Authority or officer, as the case may be, shall, after sealing the stock, make an order to that effect in Form ‘C’ and serve the same on the owner and the owner shall comply with that order.”.

5. In the said order, after Form ‘B’, the following Form shall be inserted, namely:-

“FORM ‘BA’
(See item (ii) of sub-clause (b) of clause 13)

Monthly return to be submitted by the registered warehouse owner for the period from.....to.....

Registration number under Tea Warehouses Licensing Order:

User profile:

Name of the warehouse:

Contact details of warehouse owner
(e-mail ID, mobile number, landline number):

Area of warehouse:

Total area:

Storage area:

Details of arrival and dispatches during the reporting month:

Sl. No	Category	Opening stock	Arrival during the month	Dispatched during the month	Closing stock
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

*If the information regarding any column is ‘nil’, enter zero (0) against the same.

DECLARATION

I/We, hereby declare that the above stated facts are true and correct based on the available record maintained in the warehouse.

Date:

Place:

Signature
(Authorised Signatory) ”.

6. In the said order, in Form ‘C’, for the words, figures, brackets and letters ‘See Clause 14 (iv)’, the following words, figures, brackets and letters shall be substituted, namely:–

“See sub-clause (d) of clause 15”.

[F. No.T-12016/1/2017-Plant (A)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* Notification number S.O.472 (E), dated the 20th June, 1989 and subsequently amended as follows:-

1. S.O. 697 (E) dated the 23rd July, 2001; and
2. S.O. 3318(E) dated the 25th October, 2016.